ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.07.13 16:10:06 +0530

S.T. No. 99/22

Witness No. **05** for **अभियोजन** Deposition taken the **13.07.2023** day of witness's apparent age **40** States of affirmation my name is **ललित मारकण्डे** son of **कन्हैया दास मारकण्डे** occupation **मजदूरी** address **ग्राम हरदीटेका पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०**

परीक्षण प्रारंभ– 01:30 पी०एम० ।

1– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को नहीं जानता हूं । आज से करीब साल भर पहले की बात है । गांव में चर्चा हुआ कि रेल्वे पटरी के किनारे बड़े पुल के पास कोई रेल्वे कर्मचारी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है । फिर मैं घटना स्थल पर देखने गया था । मैं जब पहुंचा तो उसे झाड़ से उतारकर रखे थे। मृतक का नाम विनोद वर्मा था । पुलिस वाले फिर उसका शव पंचनामा बनाये थे। शव पंचनामा के समय मैं उपस्थित था । पुलिस वाले पंचनामा के लिए मुझे नोटिस सूचना पत्र प्रदर्श पी–1 दिये थे जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस ने गवाहों के समक्ष शव का पंचनामा का नक्शा पंचायतनामा तैयार किये थे जो प्रदर्श पी–2 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता । पुलिस वाले मुझसे कोई पूछताछ नहीं किये । मैंने पुलिस को घटना के बारे में कोई बात नहीं बताया था ।

<u>नोट– इसी स्तर पर लोक अभियोजक श्री नारायण कन्नौजे ने साक्षी के कथनों को देखते हुये साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही । अभिलेख के अवलोकन पश्चात अनुमति गयी ।</u>

2– मैं नवमी कक्षा तक पढ़ा हूं । मैं हरदीटेका में रहता हूं । मैं प्रकाश सेवता को नहीं जानता हूं । यह कहना गलत है कि मैं रेल्वे विभाग में चाबीदार के पद पर कार्य करता हूं । यह कहना सही है कि मृतक का नाम प्रकाश सेवता है ।

साक्षी स्वतः कहा कि मृतक का नाम प्रकाश सेवता बताया गया था । स्वतः समाप्त । मैं मृतक के पंचनामा कार्यवाही के समय उपस्थित था । यह कहना गलत है कि पंचनामा के समय मृतक के कमर के पास एक सफेद लाइनदार कागज में लिखा था कि विनोद वर्मा सेक्शन इंचार्ज है मैं प्रकाश चाबीदार हूं मुझे तीन माह से मानसिक रूप से प्रताडित करता है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं । यह कहना गलत है कि उसमें यह भी लिखा था कि मेरे मौत का जिम्मेदार विनोद वर्मा होगा वह कागज दबा हुआ था ।

3– यह कहना सही है कि मर्ग कथन में चस्पा फोटो मेरे है । यह कहना गलत है कि मर्ग बयान **प्रदर्श पी–15** के अ से अ भाग पर बने हस्ताक्षर मेरे है । साक्षी का उसका मर्ग बयान प्रदर्श पी–15 का ब से ब भाग "मेरे सामने पंचनामा ..... कारण हुआ " पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैने उक्त कथन नहीं दिया है कैसे लिखा है मैं नहीं जानता ।

4– यह कहना गलत है कि मैं पूर्व में रेल्वे विभाग में चाबीदार के पद पर कार्य करता था । यह कहना गलत है कि आरोपी विनोद वर्मा मेरे साथ काम करता था । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरा बयान लिये थे और मेरा हस्ताक्षर भी लिये थे । यह कहना गलत है कि मैं आरोपी के पैसे लेकर आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री व्ही०बी० सिंह अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

5– पुलिस वाले मुझसे फोटो मांगे थे तब मैने दिया था ।

परीक्षण समाप्त–01:45 पी०एम०।

वांचित सही स्वीकृत **मेरे निर्देशन पर टंकित**

(आलोक कुमार)
सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर

(आलोक कुमार)
सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ०ग०)

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करता हूं कि अपलोड की गयी इस पी०डी०एफ० फाइल जिसमें पीठासीन अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर है की अर्न्तवस्तु वैसी ही है जैसे मूल साक्ष्य पत्रिका में है।

अपलोडकर्ता– ईश्वर लाल देवांगन (साक्ष्य लेखक)